कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी,फर्रूखाबाद।

संख्या 6832/आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 14 जुलाई 2014

आदेश

पूरे जिले में प्रेस लिखी गाड़ियां चल रही हैं जो टैक्सी के रूप में अथवा निजी वाहनों के रूप में पंजीकृत हैं और अनाधिकृत रूप से सवारियों को ढो रही हैं। अतः ऐसे समस्त प्रेस लिखी चल रही गाड़ियों का पुलिस और परिवहन अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर उनके कागजात चेक किये जायें कि उस वाहन को किस समाचार पत्र द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि किसी समाचार पत्र द्वारा बिना अधिकृत पत्र के वाहन पर प्रेस लिखा हुआ पाया जाय तो उसके विरूद्व सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए वाहन को तत्काल सीज किया जाये। इसमें किसीप्रकार की शिथिलता व लापरवाही क्षम्य न होगी।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/यात्री कर अधिकारी फर्रूखाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3– समस्त थाना प्रभारी जनपद फर्रूखाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को प्रकाशनार्थ।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।